

कार्यालय-अध्यक्ष,वाणिज्य कर अधिकरण,उत्तर प्रदेश,लखनऊ।
परिपत्र सं०-वा०क०अधि०/वीडिंग/1573 /2023.दिनांक:मई 11,2023

—:परिपत्र:—

प्रमुख सचिव (प्रशासनिक सुधार अनुभाग-1) उ०प्र०, शासन द्वारा शासनादेश संख्या-4/2023/463/43-1-2023 दिनांक 28.04.2023 निर्गत करते हुये अभिलेखों का वीडिंग/रिकार्डिंग कराये जाने के सम्बन्ध में दिशा निर्देश जारी किये गये हैं। उक्त शासनादेश की प्रति shasanadesh.up.gov.in साइट पर दिनांक 01.05.2023 में उपलब्ध है।

अतएव उपरोक्त शासनादेश के अनुसार अभिलेखों की वीडिंग/रिकार्डिंग कराया जाना तत्परता से सुनिश्चित किया जाय।

ह०

(अरविन्द मलिक)

एच०जे०एस०

अध्यक्ष,वाणिज्य कर अधिकरण

उत्तर प्रदेश,लखनऊ 11-5-2023

पृष्ठांकन:वा०क०अधि०/वीडिंग/1573/2023,तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ व आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. समस्त सदस्य,वाणिज्य कर अधिकरण,उत्तर प्रदेश,लखनऊ।
2. वरिष्ठ सहायक(अभिलेखपाल),मुख्यालय।
3. वरिष्ठ सहायक(विवरण),मुख्यालय को गार्ड फाइल हेतु।
4. वेब अधिकारी,मुख्यालय

आज्ञा से

(तरुण कुमार)

निबन्धक,वाणिज्य कर अधिकरण

उत्तर प्रदेश,लखनऊ